राजस्थान सरकार
निदेशालय, स्थानीय निकाय, राज0 जयपुर
जी–3, राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन फाटक के पास, जयपुर
(Phone & Fax-2222403/2223239 Web-www.lsgraj.org Email ID-dlbrajasthan@gmail.com)

क्रमांक:एफ 55( )पीए / सीई / डीएलबी / कोरोना / 2021 / 143798-144017 दिनांक: 19/11/2021

उपनिदेशक (क्षेत्रीय),
स्थानीय निकाय विभाग,
समस्त, राजस्थान।

आयुक्त / अधिशाषी अधिकारी,
नगर निगम / परिषद् / पालिका,
समस्त, राजस्थान

विषयः–कोरोना के प्रसार को रोकने हेतु गाईडलाइन की पालना एवं जनजागरण अभियान जारी रखने व टीकाकरण बाबत्।

जैसा कि विदित है कि दीपावली के पर्व एवं शादी समारोह के दौरान बीते कुछ दिनों में राजस्थान में भी कोरोना संक्रमण के मामलों में पुनः वृद्धि हुई है।

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कोरोना एवं टीकाकरण जागरूकता अभियान के अंतर्गत संचालित गतिविधियों में क्षेत्र विशेष के अनुसार **नवाचार** सम्मिलित करते हुए निम्नानुसार कार्यवाही की सुनिश्चिता की जानी हैः–

- नो मास्क–नो एंट्री–नो मूवमेन्ट की सुनिश्चिता।
- कचरा वाहनों पर नयी जिंगलटोन (वाट्सएप ग्रुप पर शेयर किये गये अनुसार) चलाना, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया (सोशल मीडिया व एफएम रेडियो इत्यादि) का उपयोग।
- सार्वजनिक परिवहन के साधनों यथा ई–रिक्शा / साईकिल रिक्शा / ऑटो रिक्शा इत्यादि के माध्यम से माईक द्वारा व्यापक प्रचार–प्रसार।
- निर्धारित पम्पलेट (सूचना व जन संपर्क निदेशालय द्वारा जारी स्लोगन्स) वितरण जारी रखना।
- नगर के मुख्य स्थानों पर हॉर्डिंग / बैनर लगाना व वॉल पेंटिंग करवाना।
- हाई रिस्क एरिया जैसे कच्ची बस्ती, सब्जी / अनाज मण्डी, सार्वजनिक परिवहन के साधनों जैसे–बस इत्यादि पर कमजोर वर्गों से संवाद उपरांत मास्क विहीन लोगों को मास्क वितरण।
- माननीय मंत्री महोदय द्वारा 15 लाख मास्क राज्य की विभिन्न नगरीय निकायों में वितरण हेतु वाहनों को दिनांक 18.11.2021 को हरी झण्डी रवाना किये है, तदानुसार उनको वितरण करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जावें, इसके अतिरिक्त आवश्यक मास्क चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग / सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा अधिकारी से सम्पर्क कर आवश्यक मास्क निःशुल्क लिये जाने के निर्देश पूर्व में जारी किये जा चुके है।
- विभिन्न सामाजिक संगठनों (व्यापारिक, नागरिक, सामाजिक व सभी धर्मगुरूओं इत्यादि) एवं जनप्रतिनिधियों से संवाद स्थापित करते हुए अभियान को जनजागरण अभियान की तर्ज पर चलाने हेतु समझाइश एवं सहयोग प्राप्त करना।
- एनसीसी / एनएसएस स्काउट गाइड, एनजीओ एवं नेहरू युवा केन्द्र का सहयोग प्राप्त करना।

Scanned with CamScanner

Scanned by TapScanner

- स्कूल/कॉलेजों के शिक्षकों व विद्यार्थियों से संवाद एवं सहयोग प्राप्त करना।
- जारी गाइडलाइन के अनुसार योग्य नागरिकों को तेजी से टीकाकरण हेतु प्रेरित एवं मोबिलाईज़ करना।
- प्रोटोकॉल के उल्लंघन पर नागरिकों/वाणिज्यिक स्थलों/विवाह स्थलों/सार्वजनिक कार्यक्रम स्थलों पर सीज/शास्ती की कार्यवाही।
- नगरीय निकायों द्वारा अपनी स्वयं की नियमित गतिविधियां पूर्वानुसार एनयूएलएम के समूहों के सहयोग से जारी रखना।
- नोडल अधिकारियों द्वारा अपने क्षेत्र का दौरा कर कोविड–19 की रोकथाम के प्रयास।

आप अपने संबंधित क्षेत्र में उपरोक्त दिशा–निर्देशों की सख्ती से पालना सुनिश्चित करावे व टीकाकरण की संख्या को बढ़ाने हेतु टीकाकरण जनजागरण अभियान का व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाना सुनिश्चित करावें।

उच्च स्तर पर कोविड–19 की समीक्षा नियमित रूप से की जा रही है। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि अभियान के अंतर्गत की गयी कार्यवाही की सूचना निर्धारित गूगल ड्राईव में उपनिदेशक (क्षेत्रीय), आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी स्वयं के स्तर पर पर्यवेक्षण करने के पश्चात् नियमित रूप से भिजवाना सुनिश्चित करें।

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें।

(दीपक नंदी)
निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

क्रमांकःएफ.55( )पीए/सीई/डीएलबी/कोरोना/2021/144018 – 144057

दिनांकः 19/11/2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग।
3. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ट सचिव, स्वायत्त शासन विभाग।
4. जिला कलक्टर (समस्त), राजस्थान।
5. अधिशाषी अभियन्ता (PHE), निदेशालय को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि नगरीय निकायों से सूचनायें संकलित कर रिपोर्ट तैयार किया जाना सुनिश्चित करें।
6. प्रोग्रामर (आई. टी. प्रकोष्ठ), निदेशालय, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. सुरक्षित पत्रावली।

(दीपक नंदी)
निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

Scanned with CamScanner

Scanned by TapScanner